डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2002)

### छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ( संशोधन ), विधेयक, 2002

**छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(2) यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे.

2. (1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973), (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहलायेगा) की धारा 7 की उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द "अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रींवा" के स्थान पर शब्द "पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर" स्थापित किया जाय. धारा 7 का संशोधन. प्रादेशिक अधिकारिता.

(2) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में शब्द "जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) के अधीन जवाहर लाल नेहरू कृषि

विश्वविद्यालय "के स्थान पर "इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1987 के अधीन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर" स्थापित किया जाय.

**धारा (14) (2) का संशोधन कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.**

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाय; अर्थात्—

"परन्तु यह और भी कि संबंधित व्यक्ति 65 वर्ष की आयु, पूरी कर लेने पर पद धारण करने से प्रवरित हो जाएगा.

**धारा 20 का संशोधन, सभा का गठन.**

4. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) (बीस) के शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "पच्चीस लाख" स्थापित किया जाय.

**धारा 23 का संशोधन कार्य परिषद्.**

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) का लोप किया जाय.

(2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में खण्ड (नौ) अन्त: स्थापित किया जाय.

"कुलाधिपति द्वारा राज्य शासन की सिफारिश पर कुल तीन सदस्य, जिनमें से एक कृषि, उद्योग अथवा वाणिज्य प्रतिनिधि, एक शैक्षणिक क्षेत्र का प्रतिनिधि, एक समाजकार्य का व्यक्ति होगा."

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्राच्य संस्कृत से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता और उनकी परीक्षा की व्यवस्था, कुलपति की पदावधि या आयु का निर्धारण तथा कार्य-परिषद् में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से यह विनिश्चिय किया गया है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) में यथोचित रूप से संशोधन किया जाय.

2. अत: यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

दिनांक : 20 मार्च, 2002.

**सत्यनारायण शर्मा**

भारसाधक सदस्य.

# छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के उपबंध

7. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय की इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं से परे नहीं होगा; प्रादेशिक अधिकारिता.

परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह राज्य के भीतर पूर्वोक्त सीमाओं के बाहर स्थित महाविद्यालयों को इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अनुबन्धों के अनुसार सहयुक्त करे या उन्हें अपने विशेषाधिकारों में से कोई भी विशेषाधिकार दे.

परन्तु यह और भी जहां विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने के लिए व्यवस्था करता है, वहां इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह पूर्वोक्त सीमाओं के बाहर निवास करने वाले विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षण क्रम में प्रवेश देने से विश्वविद्यालय को विवर्जित करती है. *

** ''परन्तु यह भी प्राच्य (ओरियंटल) संस्कृत शिक्षा (उपाधि और उच्चतर स्तर के लिए) देने के लिए मध्यप्रदेश प्राच्य (ओरियंटल) संस्कृत शिक्षा देने वाले किसी संस्कृत महाविद्यालय को या तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा या किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा.''

(3) इस धारा की कोई भी बात उन महाविद्यालयों या, अन्य शिक्षण संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी जो—

(क) अनन्यरूपेण कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण दे रही हों और जिन्हें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एक्ट, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) के अधीन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गये हों या जिनके सम्बन्ध में यह समझा जाये कि उन्हें उक्त विशेषाधिकार मिल गये हैं.

14. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें कुलपति की पदावधि तथा उस पद में रिक्ति.

(2) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और भी कि अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी, वह तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी.

20. (1) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्— सभा का गठन.

(एक) समूह - क

(एक) समूह - ख

समूह - ग

''(सोलह) ''विद्वत वृत्तियों'' का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक दो व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(सत्रह) उद्योग, कृषि, श्रम और वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक चार व्यक्ति, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(अठारह) राज्य विधान सभा के आठ सदस्य जिनका चयन राज्य विधान सभा द्वारा किया जाएगा;

(उन्नीस) पांच प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे;

(बीस) विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये या अधिक संदान करने वाला प्रत्येक दाता;

(बीस-क) विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापनेत्तर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि जो परिनियमों द्वारा विहित किए गए अनुसार अपने में से निर्वाचित किया गया हो.

कार्य परिषद्.

23. (1) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

**(एक-क) कुलाधिसचिव;

(दो) संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे;

(तीन) सभा द्वारा अपने सदस्यों में से, एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए तीन व्यक्ति;

(चार) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम-निर्देशित किए जायेंगे;

(पांच) सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों, ये चार प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम-निर्देशित किए जायेंगे;

(छ:) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप-सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(सात) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप-सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(आठ) ऐसे दो व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित किए गए हों परन्तु—

(क) मध्यप्रदेश में के किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय का कोई भी वैतनिक कर्मचारी ऊपर के पद (तीन) के अधीन निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति ऊपर के पद (तीन) के अधीन क्रमवर्ती दूसरा पदावधि के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा.

**भगवानदेव ईसरानी**
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.